मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29/9/04

क्रमांक 5691/13/2004 यतः राज्य सरकार की यह राय है कि किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के वर्ग, उद्योग या उद्योगों के वर्ग जो कि राज्य में कैप्टिव पावर संयंत्र स्थापित करने का आशय रखते हों, की विशिष्ट परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतएव, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3 –बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के वर्ग, उद्योग या उद्योगों के वर्ग को जो नीचे दी गई अनुसूची के कालन (2) में यथाविनिर्दिष्ट उन कैप्टिव पावर संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता हो, जिनमें कैप्टिव पावर संयंत्र के संस्थापन के लिए एक वर्ष के भीतर पर्याप्त कार्य प्रारंभ हो गया है तथा अनुसूची के कालन (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर स्वयं के उपभोग के लिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो गया है, उक्त अनुसूची के कालन (4) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विद्युत शुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात् :–

1. यह छूट केवल स्वयं के उपभोग के लिए विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर उपलब्ध होगी।
2. कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का वर्ग, उद्योग या उद्योगों का वर्ग 10 किलोवाट से अधिक क्षमता के कैप्टिव पावर संयंत्र की संस्थापन के पश्चात्, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित विद्युत निरीक्षक से पात्रता का प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त करेगा तथा केवल ऐसे प्रमाण –पत्र के आधार पर ही छूट के लिए हकदार होगा ।
3. जैसा ऊपर उपबंधित है यह छूट किसी ऐसे अन्य कैप्टिव पावर संयंत्र को उपलब्ध नहीं होगी जो किसी पुराने कैप्टिव पावर संयंत्र को प्रतिस्थापित करके संस्थापित किया गया हो ।

अनुसूची

अनुक्रमांक	कैप्टिव पावर संयंत्र का प्रकार	विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के प्रारंभ होने की कालावधि	विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की कालावधि
1.	2.	3.	4.
1.	गैस आधारित संयंत्र.	2 वर्ष के भीतर	संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष
2.	हायडल/थर्मल/अन्य प्रकार के पावर संयंत्र.	3 वर्ष के भीतर	संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(राकेश साहनी)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

150.

पृ.क्र. 5891 /13/2004 भोपाल, दिनांक 29/9/04

प्रतिलिपि–

1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. पश्चिम /पूर्व/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. इंदौर/जबलपुर/भोपाल ।
6. सचिव, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर ।
7. सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, शिवाजी नगर, भोपाल ।
8. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय म.प्र. शासन, भोपाल– कृपया अधिसूचना को आगामी राजपत्र में प्रकाशित कर इस विभाग को राजपत्र की 200–200 प्रतियॉं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
9. मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, म.प्र. शासन, भोपाल ।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग